

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुझुनु

मु०न०
70/17

किरम मु०
घारा 91

रज्जु दिनांक
28.11.17

निर्णय दिनांक
4.1.18

उपरोक्त सरकार बनाम शीशराम पुत्र कुरआराम जाति जाट निवासी डाणा मुहाना जिला झुझुनु
निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्बत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वाम डाणा की राजकीय भूमि गै०मु० रास्ता खण्ड 1078 रकबा 0.26 है 0 किरम गै०मु० रास्ता में से 0.01 है 0 भूमि पर शीशराम पुत्र कुरआराम जाति जाट निवासी डाणा तहसील मुहाना ने अवैध रूप मिटी का डोल कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान मु० राजस्व अधिनियम 1956 की घारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी की अनुपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का महत्ता से गनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जी काबिज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान मु० राजस्व अधिनियम 1956 की घारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये मिटी का डोल कर के दण्ड स्वरुप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.07 की 50 गुणा जुर्माना राशि 4/- रु बतौर शारित कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/गु०अ०नि०/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी / वेदखली / यसुली / कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। गु० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फौसला हो।

आज दिनांक 29.1.18 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

3
4/1/18
उप तहसीलदार
सिंधाना झुझुनु